

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ग) ए.सी.पी/1994- III/1322

दिनांक:- 10.10.2023

संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।

विषय :- तृतीय एसीपी प्रकरणों में कमी पूर्ति बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों से निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। के तृतीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों में निम्नांकित कमियाँ पाई गई हैं:-

क.सं	नाम कार्मिक सर्वश्री	मेरिट/ बैच सं.	आक्षेप का विवरण
1.	अतुल सरोलिया	522/86	एसीपी आवेदन पत्र में कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं।
2.	मुरारी लाल मीणा	195/92R	एसीआर नियमानुसार उपलब्ध नहीं है। एपीएआर 2014-15 एवं 2018-19 से 2020-21 अप्राप्त।
3.	नारायण लाल पालीवाल	126/94	एसीआर नियमानुसार उपलब्ध नहीं है। एपीएआर 2017-18 से 2019-20 अप्राप्त।
4.	हरीश चन्द्र चारण	415/94	एसीआर नियमानुसार उपलब्ध नहीं है। एपीएआर 2017-18, 2021-22 एवं 2022-23 अप्राप्त।
5.	विनोद कुमार स्वामी	488/94	एसीआर नियमानुसार उपलब्ध नहीं है। एपीएआर 2018-19, 2019-20 एवं 2022-23 अप्राप्त। द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है।
6.	शिवदयाल मीणा	543/94	द्वितीय एसीपी के आदेश संलग्न नहीं है एवं द्वितीय एसीपी आदेश संलग्न नहीं है।

उक्त तालिका में अंकित बकाया एपीएआर निदेशालय में शीघ्र प्रेषित करावें एवं आवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रेषित करावें, जिससे तृतीय एसीपी के प्रकरणों को स्वीकृत किया जा सके।

संलग्न:-निर्धारित प्रपत्र


(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-।)